WEEKLY FOCUS
#64, APRIL 2022

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

कृषि आदान

भाग III

कृषि मशीनीकरण और ऋण: संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत आदान

परिचय

कृषि संबंधी विकास और सुधार जितना कृषि उपज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है उतना ही किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस संबंध में "क्या किसानों के पास अपने कार्यकलापों को करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है?" या "उन्हें कितनी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है?" जैसे प्रश्नों को कृषि संबंधी ऋण और मशीनीकरण से संबंधित कृषि आदानों के विश्लेषण द्वारा समझा जा सकता है।

इस श्रृंखला के भाग I और भाग II में हमने सीखा कि कैसे मृदा, जल, बीज और कीटनाशक जैसे आदान (इनपुट्स) प्रत्यक्ष रूप से फसलों के विकास को संभव बनाते हैं। इस भाग में, हम अप्रत्यक्ष आदानों जैसे कि कृषि मशीनीकरण और फसल के उत्पादन चक्र पर ऋण के प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे।

कृषि संबंधी मशीनीकरण

अवलोकनः कई कारकों की वजह से कृषि संबंधी श्रम शक्ति की उपलब्धता में कमी आ रही है। इसमें एक कारक सरकार के अन्य रोजगार सृजन कार्यक्रमों में मानव श्रम की भागीदारी का बढ़ना है। साथ ही, श्रमिकों के उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को आवश्यकता पड़ने पर और किफायती मूल्य पर श्रम उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए कृषि क्षेत्र में एक इनपुट के रूप में मशीनें वस्तुतः भूमि और श्रम की उत्पादकता बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में लागत को कम करने के लिए दूसरे इनपुट्स या आदानों के कुशल उपयोग में सहायता करती हैं।

महत्व

कृषि से संबंधित मशीनों का प्रभावी उपयोग करने से उपज की **उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने** तथा **समय पर कृषि संबंधी कार्यकलापों** को करने में सहायता मिलती है। इससे कठिन शारीरिक श्रम जैसी आवश्यकता में कमी आती है। साथ ही, यह किसानों को एक ही खेत में **तीव्रता से फसल चक्रण करने में सक्षम भी बनाता है।** एक ही भूमि/खेत में द्वितीय फसल या बहु–फसलें उगाने से शस्य–गहनता (cropping intensity) में सुधार होता है। साथ ही, इससे कृषि भूमि को व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने से किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।

- कुछ अनुमानों के अनुसार, कृषि मशीनीकरण से खेती की लागत में 25 प्रतिशत की कटौती और उत्पादकता में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार, इससे कृषि आय में 25–30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

चुनौतियां/मुद्दे

- **जोतों का छोटा आकारः** कृषि जनगणना के अनुसार भारत में औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है। दूसरी ओर, भारत में लगभग 84 प्रतिशत जोतों का आकार 4 हेक्टेयर से कम है। इसके कारण किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कृषि संबंधी मशीनों को रखना अलाभकारी और उनका उपयोग अव्यवहारिक हो जाता है।
- **पहाड़ी और दुर्गम स्थलाकृति** वाले क्षेत्र ऐसी मशीनों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- **मिश्रित फसल और एकीकृत खेती जैसी पद्धतियां मशीनीकृत खेती हेतु अनुपयुक्त हैं।**
- भारत के कई ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में **विद्युत की कमी** की स्थिति विद्यमान है।
- मशीनरी के उचित परिचालन और रखरखाव के लिए **खराब सर्विसिंग सुविधाएं।**
- **अधिशेष कृषि श्रमिकों की मौजूदगी।**
- कृषि संबंधी मशीनरी में निवेश करने के लिए किसान की खराब **वित्तीय क्षमता।**

उपर्युक्त चुनौतियों के परिणामस्वरूप, भारत अभी भी औसत कृषि विद्युत उपलब्धता (किलोवाट / हेक्टेयर) के मामले में एशिया–प्रशांत देशों में अंतिम स्थान पर है।

किए गए उपाय

कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन

- **इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:**
  - इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और अलग–थलग एवं बिखरे हुए भू–जोतों तथा बड़े–बड़े कृषि मशीन न रख पाने वाले किसानों की समस्या को दूर करना है। इसके लिए **'कस्टम हायरिंग सेंटर' और 'बहुत अधिक मूल्य वाले मशीनों के हाई–टेक हब'** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - प्रदर्शन और क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच **जागरूकता पैदा करने पर बल दिया जा रहा है।**
  - पूरे देश में स्थित परीक्षण केंद्रों पर कृषि संबंधी मशीनों के **परीक्षण और प्रमाणन को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जा रहा है।**

अन्य पहल

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत **महिलाओं के लिए अनुकूल बेहतर उपकरणों** हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
- देश में कई पेशेवर सेवा प्रदाता 'पे पर यूज' (**Pay Per Use: PPU**) के सिद्धांत पर कृषि मशीनीकरण की पूर्ति कर रहे हैं। इसके तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा किसानों की मांग पर कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- **भूमि संरक्षण विभाग मशीन खरीदने** के लिए महिला प्रतिष्ठानों को **90% सब्सिडी** प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) अर्थात् नाबार्ड ऋण योजना** के तहत ट्रैक्टर की खरीद पर **30%** तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। साथ ही, अन्य कृषि मशीनरी के लिए **100%** तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कृषि मशीनीकरण पर उप–मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization: SMAM): SMAM योजना

प्रदर्शन

- ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान के रूप में कृषि संबंधी ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, प्रदान किए जाएंगे।
- वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 के दौरान इस योजना के तहत राज्यों और अन्य कार्यान्वयन संस्थानों को 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।
- 13 लाख से अधिक कृषि मशीनों का वितरण किया गया है और 27 हजार से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- प्रति इकाई क्षेत्र में खेत के लिए विद्युत की उपलब्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि (वर्ष 2016–17 के 2.02 किलोवाट/हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 2.49 किलोवाट/हेक्टेयर) हुई है।

चुनौतियां

- कम ब्याज दरों पर कृषि ऋण संबंधी अपर्याप्त सुविधाएं।
- मशीनों की आवाजाही के लिए अपर्याप्त ग्रामीण आधारभूत संरचना।
- कई फसलों में उपयोग किए जा सकने वाले बहु उपयोगी उपकरणों का अभाव।
- आयातित मशीनरी के सटीक उपयोग के संबंध में कौशल निर्माण हेतु व्यापक निवेश की आवश्यकता।
- इस योजना के तहत सीमांत किसानों को एकीकृत करना।

आगे बढ़ने की संभावनाएं

- **उच्चतर इंजीनियरिंग इनपुट:** इसके संबंध में उच्च क्षमता वाले, सटीक, विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल उपकरणों का विकास करना चाहिए। साथ ही, कृषि मशीनरी को ऑटोमेशन, GPS, रिमोट सेंसिंग, डेटा एनालाइजर आदि के संबंध में पर्याप्त रूप से कुशल होने की भी आवश्यकता है। इस संबंध में **अर्ध–मशीनीकृत नर्सरी संवर्धन तकनीक विकसित** की गई है। इसे अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।
- **बागवानी और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में मशीनीकरण का विकास करना:** अभी भी फलों को वृक्ष से अलग करने का कार्य ज्यादातर हाथ से किया जाता है। इसलिए, फलों और सब्जियों का खेत पर ही प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन करने हेतु उपकरणों एवं पैकेजिंग लाइनों की आवश्यकता है।

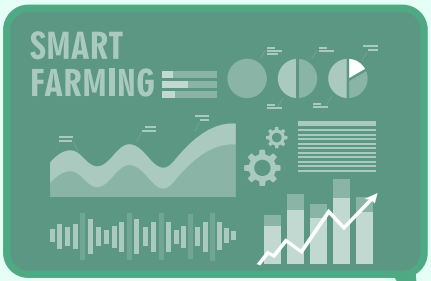

- **जिला स्तर पर 'कृषि मशीन बैंक' (Agriculture Machine Banks: AMBs) स्थापित करने के लिए:** ऐसे बैंकों के माध्यम से अत्यधिक लागत वाली मशीनों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर आदि के साथ–साथ उच्च स्तरीय रखरखाव और मरम्मत सुविधाओं एवं कृषि मशीनरी के 'कस्टम हायरिंग सेंटर' (CHC) की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इससे लघु और सीमांत किसानों को इस प्रकार की मशीनों को स्वयं खरीदे बिना अपनी खेती के लिए मशीनों तक पहुंच प्राप्त हो सकती है।

- **स्वदेशी स्तर पर अनुसंधान और विकास:** किसानों के अनुकूल, स्थान–विशिष्ट और आसान तरीके से प्रबंधित की जाने वाली कृषि मशीनरी को विकसित करने के लिए स्वदेशी स्तर पर अनुसंधान एवं विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए ऐसे स्थानीय डिज़ाइनों की ज़रूरत होगी, जो भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल हों।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** तीन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों यथा उपग्रह से प्राप्त चित्र, रोबोटिक्स और बिग डेटा का संयोजन भारतीय कृषि के लिए एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। साथ ही, इन प्रौद्योगिकियों के साथ संयुक्त रूप से मृदा रसायन विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेंसर्स और ऍप्लिकेशन्स वस्तुतः कृषि पद्धति के रूपांतरण में सहायक हो सकते हैं। इनमें जोखिम को कम करने की क्षमता के अलावा, संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला में दक्षता लाने की क्षमता है।

चर्चा का विषय

क्या कृषि यंत्रीकरण संधारणीय है?

भारत में कृषि विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2019 में लगभग 17 प्रतिशत बढ़कर 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। हालाँकि, बिना उपयुक्त मार्गदर्शन और नियंत्रण के मशीनों का अत्यधिक उपयोग करने से कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए– मृदा संघनन (soil compaction), अंतःस्यंदन और वायवीय गतिविधियों में व्यवधान, व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति और मानव श्रम का प्रतिस्थापन, परिश्रम और नवाचार पर प्रभाव, वर्षों पुराने कौशल और परंपराओं का लोप होना, तथा खेतों में बुनियादी जैव–पारिस्थितिकी के समक्ष गंभीर संकट पैदा होना।

संपूर्ण कृषि क्षेत्र में ऐसे काफी उदाहरण देखने को मिलेंगे।

- मुफ्त बिजली और/या सौर ऊर्जा संचालित पंपों द्वारा जल के अंधाधुंध उपयोग के परिणामस्वरूप **भूजल की कमी** होती है।
- वैश्विक रूप से, समुद्र में अत्यधिक मत्स्यन के कारण **मछलियों की संख्या में कमी** आई है। साथ ही, **ट्रॉलिंग के कारण समुद्र तल को भी नुकसान** पहुँचा है।
- रसायनों के उपयोग की सुलभता के कारण ज़रूरत से अधिक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, कीटनाशक और फंफूदनाशक अत्यधिक मात्रा में पारितंत्र में प्रवेश कर जाते हैं।

उत्तर–पश्चिम भारत के खेतों में धान की पराली एक उपयुक्त उदाहरण है। मशीनों की सहायता से जल तक आसान पहुंच और सिंचाई की व्यापक उपलब्धता के कारण फसल प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। अब उन क्षेत्रों में भी चावल की खेती होती है, जहां के समाज के मुख्य आहार में चावल शामिल नहीं था। चावल के खेतों में बचे फसल अवशेष (पराली) का कोई उपयोग न होने के कारण अंततः उसे जला दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है।

हाल ही के कुछ वर्षों में, गेहूं की पराली को भी जलाना प्रारंभ कर दिया गया है। यह कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग के द्वारा की जाने वाली मशीनीकृत कटाई का परिणाम है।

कृषि ऋण

अवलोकनः वित्त एक ऐसा महत्वपूर्ण आदान (इनपुट) है, जिसके माध्यम से सभी भौतिक इनपुट्स (जिनकी चर्चा पिछले भागों और अध्यायों में हो चुकी है) की उपलब्धता संभव हो पाती है। ऋण एक ऐसी व्यवस्था है, जो वित्त तक पहुंच को संभव बनाती है। इस प्रकार इससे इनपुट, उत्पादन और विपणन का शुरुआती चक्र प्रारंभ होता है। कृषि उपज के मुद्रीकरण से भी वित्तीय इनपुट प्राप्त होता है। एक कुशल कृषि उद्यमी को सामान्य तौर पर उत्पादन और विपणन के अगले चक्र के लिए आवश्यक राजस्व का सृजन सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

महत्व

अनुभवजन्य साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि फसल उत्पादन के लिए कृषि ऋण काफी महत्वपूर्ण और सकारात्मक है। कृषि ऋण में मोटे तौर पर प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि, कृषि **GDP** में 0.29 प्रतिशत की वृद्धि उत्पन्न करती है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है।

चुनौतियां / समस्याएं

- **गैर–सांस्थानिक विकल्पों पर अधिक निर्भरताः लगभग 40%** ऋण अनौपचारिक स्रोतों और 26% ऋण जमींदारों से लिया जाता है (NSSO)।
- **निवेश संबंधी ऋण का अत्यंत कम हिस्साः** कुल कृषि ऋण में निवेश संबंधी ऋण का हिस्सा केवल 35.3% है। निवेश संबंधी ऋण कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता करता है।
  - सांस्थानिक ऋण के दो घटक हैं: **फ़सल संबंधी ऋण** – अल्पावधिक कृषि ऋण; और **निवेश संबंधी ऋण** – दीर्घावधिक कृषि ऋण।
- **ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलनः** बेहतर अवसंरचना सुविधाओं और ऋण वितरण केंद्रों तक बेहतर पहुंच के कारण कृषि ऋण में दक्षिणी राज्यों की संयुक्त रूप से 43% की हिस्सेदारी है। दूसरी ओर, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों की ऋण में हिस्सेदारी बहुत कम (8%–13% के बीच) है।
- **असंतुलित ऋण वितरणः** लगभग 60 प्रतिशत कृषि ऋण खाते लघु और सीमांत किसानों (**SMF**) के हैं; जबकि वितरित की गई राशि में उनकी हिस्सेदारी केवल 40.46% की है।
- **कृषि में प्राथमिक क्षेत्र ऋण (PSL) के संदर्भ में विसंगतियांः** कृषि संबंधी ऋण में बड़े आकार के ऋणों (₹10 करोड़ और उससे अधिक) की हिस्सेदारी में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। इस प्रवृत्ति के कारण किसानों के लिए उपलब्ध कृषि ऋण, उन्हें न मिलकर गैर–किसान उधारकर्ताओं जैसे इनपुट डीलर, राज्य विद्युत बोर्ड, कृषि क्लीनिक, कृषि संबंधी **PSL** में शामिल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि को मिल जाता है।

अब तक उठाए गए कदम

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की नीति

- कृषि में निजी क्षेत्र की बेहतर भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को सुविधाजन बनाना।

नाबार्ड के साथ समर्पित दीर्घावधिक सिंचाई निधि (LTIF)

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefits Programme: AIBP) के तहत अपूर्ण वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए ₹ 20,000 करोड़ की निधि।

एकीकृत कृषि विपणन ई–प्लेटफॉर्म

- यह थोक विपणनकर्ताओं के लिए एक समन्वित ई–मार्केट प्लेटफॉर्म है। यह संग्रहण, परिवहन, फॉरवर्डिंग एजेंसियों, परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि जैसे भिन्न–भिन्न तरीकों के माध्यम से निजी क्षेत्र से निवेश को सृजित करने में सहायता करता है।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान/PM-KISAN)

- इसका उद्देश्य अलग–अलग इनपुट्स को खरीदने में लघु और सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों की प्रतिपूर्ति करना तथा उन्हें जमींदारों के ऋण जाल में फंसने से बचाना है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

- यह किसानों को आधुनिक और अभिनव कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही, यह संभावित जोखिमों को कवर करते हुए कृषि क्षेत्र में ऋण के अधिक प्रवाह को आकर्षित करती है।

लघु और सीमांत किसानों के लिए बिना किसी परेशानी के ऋण सुनिश्चित करने हेतु किए गए अन्य उपाय

- 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋण हेतु ब्याज अनुदान योजना,
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
- लघु, सीमांत, काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए संयुक्त देयता समूह (**Joint Liability Groups**),
- कृषि ऋण की माफी,
- स्वामित्व (SWAMITVA) योजना वस्तुतः ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार प्रदान करती है।

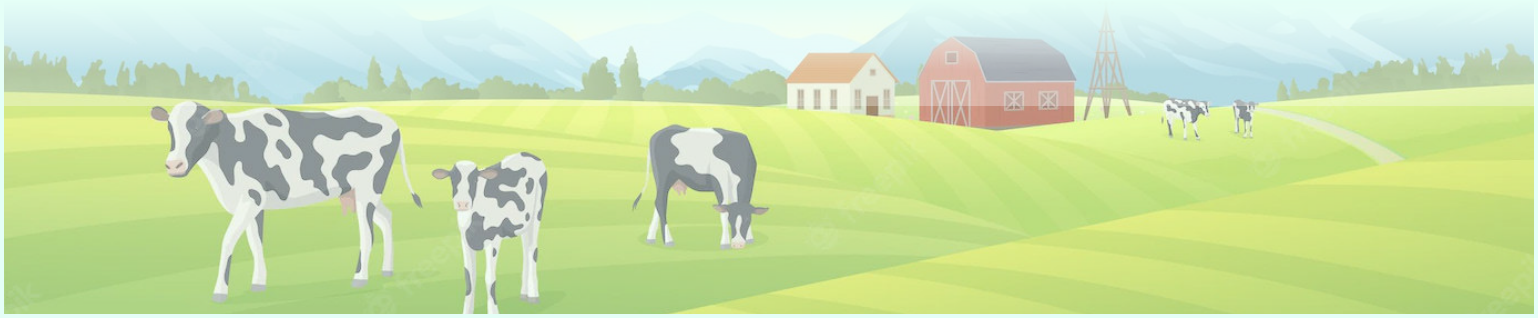

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान कार्ड
KISAN CARD

प्रदर्शन

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने विशेष अभियान चलाकर 2 लाख करोड़ रुपये की खर्च सीमा के 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है।
- 1.35 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ KCC के तहत 1.5 करोड़ से अधिक किसानों (मछुआरों और डेयरी किसानों सहित) को कवर करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया गया है।
- सीमांत किसानों (फ्लेक्सी KCC के रूप में) को 10,000 रुपये से 50,000 रुपये की लचीली ऋण सीमा प्रदान की गई है। यह धारित जोत तथा फसलोत्तर गोदाम भंडारण सहित उगाई गई फसलों से संबंधित ऋण की जरूरतों और खेत से संबंधित अन्य खर्चों, खपत संबंधी आवश्यकता आदि के आधार पर प्रदान की जाती है। साथ ही, भूमि के मूल्य से संबद्ध किए बिना निवेश हेतु छोटे टर्म लोन भी प्रदान किए जाते हैं।

चुनौतियाँ

- ऋण वितरण में विलम्ब।
- अपर्याप्त ऋण।
- अलग–अलग फसलों पर अतार्किक ऋण संबंधी सीमा।
- शाखा स्तर पर पर्यवेक्षण का अभाव।
- गरीब किसान को लक्षित धन का कई मामलों में दुरुपयोग किया जाता है।

आगे बढ़ने की संभावनाएं

- पूंजीगत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक ऋण के वितरण हेतु और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- **RBI** के संशोधित **PSL** दिशा–निर्देशों के अनुसार कृषि के लिए कुल ऋण में लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण का हिस्सा बढ़ा दिया गया है।
- **PSL** दिशा–निर्देशों के तहत कृषि के लिए 18 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) के 8 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- क्षेत्रीय असंतुलन का समाधान करने के लिए **पूर्वी, मध्य, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान** देने की जरूरत है।
- **समावेशन प्रक्रिया को बेहतर करना:** संस्थागत ऋण प्राप्त करने से वंचित रहने वाले किसानों और नए किसानों को बैंकिंग के दायरे में लाना तथा उन्हें **KCC** जारी करना।
- **किसानों/FPOs के समेकन/समूहन को प्रोत्साहित करना:** किसान उत्पादक संगठन (**FPOs**) वस्तुतः लेनदेन की उच्च लागत, ऋण की जमानत संबंधी शर्तों आदि जैसी बाधाओं का समाधान करने में मदद करते हैं। साथ ही, ये सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से बाजारों, सार्वजनिक सेवाओं, बेहतर मूल्य आदि तक पहुंच प्राप्त करने में छोटे जोत धारकों का समर्थन भी करते हैं।
- संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिए काश्तकारों को सक्षम करने हेतु **एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में संयुक्त देयता समूहों (JLG) को बढ़ावा देना चाहिए।**

- **अवसंरचना और साझा परिसंपत्ति:** खेती की लागत को कम करने और निजी निवेश में तेजी लाने के लिए साझा संसाधनों तक पहुंच महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इससे बेहतर और स्थिर निवल आय सुनिश्चित होती है।
- **प्रशिक्षण और कौशल:** दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने संबंधी गतिविधि का संचालन करने के लिए सहकारी कर्मियों को पुनः कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है।

चर्चा का विषय

कौन से कारक भारत में लघु और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता को सीमित करते हैं?

देश में कुल परिचालनरत कृषि जोत का लगभग 85 प्रतिशत (सकल फसली क्षेत्र का लगभग 43 प्रतिशत) लघु और सीमांत किसानों (SMF) की जोत श्रेणी में आता है। इसलिए संसाधनों की अभावग्रस्तता वाले इस समूह को समय पर और किफायती ऋण उपलब्ध कराना समावेशी विकास सुनिश्चित करने की कुंजी है।

- **भू–जोत का घटता आकार:** भूमि के स्वामित्व के विभाजन और विखंडन ने SMFs की ऋण प्राप्त करने की क्षमता के साथ–साथ कृषि में जमीनी स्तर पर ऋण (Ground level credit: GLC) की उपलब्धता को भी सीमित किया है। उच्च लेन–देन और निगरानी संबंधी लागत के कारण बैंक वस्तुतः SMFs को वित्तपोषित करने से भी हिचक रहे हैं।
  - कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण (बकाया) के संबंध में छोटे और मध्यम आकार के खातों (2 लाख रुपये तक के ऋण) की हिस्सेदारी मार्च 2009 के अंत में कुल कृषि वित्त के 47 प्रतिशत से घटकर मार्च 2013 के अंत तक लगभग 42 प्रतिशत रह गई थी।
- **उचित रिकॉर्ड ऑफ राइट का अभाव:** भारत में कृषि ऋण लेने के लिए लघु और सीमांत किसानों को कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जबकि उनके पास संसाधनों की उपलब्धता कम है। इससे उन्हें बहुत कम संस्थागत ऋण (विशेष रूप से निवेश संबंधी ऋण) मिल पाता है। अक्सर छोटे भू–धारक उचित स्वामित्व या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (ROR) की अनुपस्थिति के कारण अपनी भू–जोतों को जमानत (गिरवी) के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं।
- **काश्तकार किसानों / बंटाईदारों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी:** लगातार बढ़ते शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन तथा भू–जोत के विखंडन के कारण देश में काश्तकारी कृषि के प्रसार में तेजी आई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के एक रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में पट्टे पर दिया गया क्षेत्र वर्ष 2002–03 में 6.5 प्रतिशत था। यह वर्ष 2012–13 में 10.88 प्रतिशत हो गया था। इस प्रकार यह एक दशक में 4.38 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- **उच्च NPA का हवाला:** कृषि ऋणों के संबंध में (विशेष रूप से छोटे खेतों के लिए) अक्सर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के उच्च स्तर का हवाला दिया जाता है।

निष्कर्ष

भाग I, II और III में चर्चा किए गए 6 महत्वपूर्ण आदान (इनपुट) कृषि संबंधी चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति या कमी उत्पादन प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

इस संदर्भ में, एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कृषि संबंधी चक्र के प्रत्येक पहलू पर कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही, प्रत्येक इनपुट का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के संतुलित और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को वित्तीय, तकनीकी एवं सूचना के संबंध में मजबूत किया जाना चाहिए।

टॉपिक – एक नज़र में

कृषि आदान– भाग III

कृषि मशीनीकरण और ऋण: संवृद्धि को बढ़ावा देने वाले पूंजीगत आदान

महत्व

कृषि से संबंधित मशीनों का प्रभावी उपयोग करने से उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने तथा समय पर कृषि संबंधी कार्यकलापों को करने में सहायता मिलती है। साथ ही, इससे कठिन शारीरिक श्रम संबंधी आवश्यकता में कमी आती है और यह किसानों को एक ही खेत में तीव्रता से फसल चक्रण करने में सक्षम बनाता है। साथ ही, शस्य–गहनता (cropping intensity) में सुधार होता है। इससे क्रमिक फसली अवधि हेतु कृषि भूमि को व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ

- छोटे आकार के खेत।
- पहाड़ी और विखंडित स्थलाकृति।
- मिश्रित फसल और एकीकृत खेती।
- विद्युत की कमी।
- सेवा संबंधी खराब सुविधाएं।
- अधिशेष कृषि श्रमिक।
- कृषि संबंधी मशीनों में निवेश करने के लिए किसानों की अल्प वित्तीय क्षमता।

किए गए उपाय

- **कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM):** इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
  - 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स और हाई–वैल्यू मशीनों के हाई–टेक हब' को बढ़ावा देना।
  - जागरूकता पैदा करना।
  - प्रदर्शन संबंधी परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना।
- अलग–अलग योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ जैसे–
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उन्नत तथा **महिलाओं के अनुकूल उपकरणों** के लिए सहायता।
  - भूमि संरक्षण विभाग मशीन खरीदने के लिए महिला प्रतिष्ठानों को 90% सब्सिडी प्रदान करता है।
  - नाबार्ड ऋण योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

कृषि मशीनीकरण

- उच्चतर इंजीनियरिंग इनपुट और उच्च क्षमता, सटीक, विश्वसनीय तथा ऊर्जा कुशल उपकरणों का विकास करना।
- बागवानी और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के लिए मशीनीकरण का विकास करना।
- जिला स्तर पर 'कृषि मशीन बैंक' (AMBs) की स्थापना करना।
- किसानों के अनुकूल, स्थान–विशिष्ट और आसान तरीके से प्रबंधित की जाने वाली कृषि मशीनरी को विकसित करने के लिए स्वदेशी स्तर पर अनुसंधान एवं विकास करने की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

महत्व

कृषि ऋण में मोटे तौर पर प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि, कृषि GDP में 0.29 प्रतिशत की वृद्धि उत्पन्न करती है। इसके परिणामस्वरूप, इससे आय में भी बढ़ोतरी होती है।

चुनौतियाँ

- गैर–संस्थागत विकल्पों पर अत्यधिक निर्भरता।
- निवेश संबंधी ऋण की खराब हिस्सेदारी।
- ऋण के वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन।
- विषम ऋण वितरण।
- कृषि में PSL वाले ऋण के संबंध में व्याप्त विसंगतियाँ।

किए गए उपाय

- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की नीति।
- नाबार्ड के साथ समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई निधि (LEIF)।
- एकीकृत कृषि विपणन ई–प्लेटफॉर्म।
- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)।
- अन्य उपाय जैसे कि लघु और सीमांत किसानों को परेशानी मुक्त ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना तथा ब्याज अनुदान योजना।

आगे बढ़ने की संभावनाएं

- पूंजीगत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था।
- कृषि के लिए कुल ऋणों में लघु और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले ऋणों का हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय असंतुलन से निपटने के लिए पूर्वी, मध्य, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान देना।
- बैंकिंग दायरे के तहत किसानों के समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए।
- किसानों/FPOs के समेकन/समूहन को प्रोत्साहित करना।
- काश्तकारों के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में संयुक्त देयता समूहों (JLGs) को बढ़ावा देना।
- अवसंरचना और साझा परिसंपत्ति तक पहुंच।
- दीर्घकालीन उधार देने संबंधी गतिविधि का प्रबंधन करने के लिए सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना।